राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10213/2021

रामनिवास कुम्हार पुत्र श्री सुखराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम बागोरिया, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर, वर्तमान में ग्राम सेवक ग्राम पंचायत नाड़सर, पंचायत समिति, भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. लोकपाल, मनरेगा, जिला जोधपुर।
4. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलेक्टर, जोधपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री विकास बिजारनिया

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री राजदीप सिंह

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

17/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 23.07.2021 (अनुलग्नक 7) के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत उससे 48,230/- रुपये की राशि वसूलने की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने शुरू में ही बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ राशि की वसूली के लिए आक्षेपित आदेश बिना कोई पूर्व कारण बताओ

नोटिस जारी किए या अन्यथा सुनवाई का कोई अवसर दिए या विभाग को हुई कथित हानि का पता लगाने के लिए कोई जांच किए बिना पारित किया गया है।

3. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 द्वारा शासित है। इसके अनुसार, इसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सरकारी अधिकारी से कोई वसूली नहीं की जा सकती है।

4. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा हरि किशन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11560/2019, दिनांक 22.07.2020 को तय मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया है।

5. याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही कोई जांच की गई।

6. दायर जवाब में, उपरोक्त कथन के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए, यह एक मौन स्वीकृति है कि न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही वास्तव में कोई जांच की गई।

7. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, न्यायालय के प्रश्न पर, इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई थी। हालांकि, वह आग्रह करेंगे कि सरकार को हुए नुकसान या दुर्विनियोजन या गबन के मामलों में, विभाग दोषी कर्मचारी से नुकसान की राशि वसूलने का हकदार है।

8. सिद्धांत रूप में, मैं प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत हूँ। लेकिन यदि ऐसी वसूली की भी जाती है, तो वह भी प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत आती है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, प्रशासनिक आदेश मनमाने ढंग से पारित नहीं किए जा सकते, वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, दोषी कर्मचारी को अपना मामला प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिए बिना।

9. न तो याचिकाकर्ता को कोई अवसर दिया गया और न ही उसके कथित अपराध के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया, और न ही यह ऐसा मामला है, जिसमें विभाग ने सीसीए नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करके जांच करने का प्रयास किया।

10. इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से ऊपर उद्धृत डिवीजन बेंच के फैसले द्वारा कवर किया गया है और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सही रूप से इस पर भरोसा किया गया है।

11. इस आधार पर, संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि 23.07.2021 का आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं है।

12. परिणामस्वरूप, याचिका को आवश्यक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। 23.07.2021 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 7) अपास्त किया जाता है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।